भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4629
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएँ

†4629. सुश्री सयानी घोषः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वर्षवार और राज्यवार कुल केंद्रीय परिव्यय और वास्तविक व्यय कितना है;
(ख) क्या सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत कुछ राज्यों को धनराशि जारी करना बंद कर दिया है और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी की गई और लंबित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं की संख्या कितनी है और लंबित कार्यों के लिए संशोधित लागत अनुमोदन की स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार ने लागत वृद्धि, अत्यधिक व्यय या अस्वीकार्य परियोजना घटकों के सत्यापन के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो ऐसी संपरीक्षा और अनुपालन प्रोटोकॉल की प्रकृति क्या है; और
(ङ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि अस्वीकार्य लागतों और अतिरिक्त देनदारियों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध के बावजूद सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र उक्त मिशन को नई समय-सीमा के भीतर पूरा करें?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। इसकी शुरूआत के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी थी। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है। जेजेएम के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए निधि आवंटन, आहरण और उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं। इस प्रकार, ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे राज्य सरकार के स्तर पर रखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, मिशन के कार्यान्वयन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य उन व्ययों के बारे में निर्णय लेते हैं जो जेजेएम के केन्द्रीय हिस्से के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं, जैसे लागत वृद्धि, समय और निर्धारित लागत से अधिक खर्च, बजट/पर्यवेक्षण प्रभार के कारण लागत, संचालन एवं रखरखाव की लागत, भूमि, मिशन के उद्देश्य से परे अवसंरचना का सृजन, आदि और इसे राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से वहन किया जाना होता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि इस बात की लेखा परीक्षा/सत्यापन करते हुए कि निधियों का उपयोग वर्तमान दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा पैनल में शामिल किसी सनदी लेखाकार द्वारा की जाए।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 19.08.2025 तक दी गई सूचना के अनुसार, 12.45 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस प्रकार, 19.08.2025 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.69 करोड़ (81.02%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की है।

इसके अलावा, राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को, *अन्य बातों के साथ-साथ, "स्रोत स्थिरता"* सहित *"विभाग आधारित दृष्टिकोण"* से *"सेवा प्रदान करने संबंधी दृष्टिकोण"* में परिवर्तित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लक्ष्यों के साथ-साथ नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के टिकाऊ और दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव की भी परिकल्पना की गई है।

*****